RPG GROUP

स्वरोगार का सबसे बड़ा मिशन

RPG GROUP

आर.पी.जी. ग्रुप जैविक कृषि एवं ग्रामीण विकास स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान

हजारीबाग, झारखण्ड

घर-घर में रोजगार मिलेगा।
हर हाथ को काम मिलगा।।

नया करो, नया सीखो।
नये युग का, नया फसल।।

आर.पी.जी. ग्रुप क्या है।

यह एक कृषि एवं ग्रामीण विकास स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान है। आर.पी.जी. ग्रुप ऑफ कम्पनीज है इसकी स्थापना दिनांक 12/05/2017 को की गई। स्थापना के पीछे विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादन खाद्य उत्पादक के क्षेत्र में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों से बेरोजगार नवयुवक एवं नवयुवतियों को प्रशिक्षण प्रदान कर स्वरोजगार से जोड़ना और पलायन को रोकना है। जिसमें अपनी इच्छानुसार विभिन्न तरह के कार्यो का प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने पैरो पर खड़े होकर आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बन सकें।

क्या आप स्वरोजगार की तलास में है।

आपकी सहायता हम करेगें।

1. एक सफल कृषक बनाने में।
2. एक सफल उद्यमी बनाने में।
3. कुशल और निपुण बनाने में।
4. बैंको से ऋण लेने में, तो आइयें हमसे जुड़े और शुरू कीजिए! अपने घर पर स्वरोजगार और कमायें रूपये 25000 से 100,000 प्रतिमाह या इससे अधिक।

आर.पी.जी. ग्रुप की विशेषतायें :-

1. नि:शुल्क प्रशिक्षण कार्यशाला।
2. प्रशिक्षण के दौरान नि:शुल्क नास्ता एवं भोजन।
3. कम अवधि के प्रभावी प्रशिक्षण कार्यशाला ।
4. कुशल एवं अनुभवी प्रशिक्षक।
5. योग्य एवं व्यक्तिव विकास संबंधित कार्यशाला।
6. साथ-साथ उद्यमी एवं व्यापार के गुण अर्जित करना।
7. प्रशिक्षण उपरांत तीन वर्षो तक अनुसरण।
8. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देना।
9. सब्सिडी पर फाइनेंस की सुविधा प्रदान करना।

किसानो को स्वस्थ बनाना है, संघर्ष हमारा नारा है।
नई उमंग नई तकनीक, कम मेहनत कम लागत।
अधिक उपजाएँ, अधिक मुनाफा, संघर्ष ही हमारा नारा है।

आर.पी.जी. ग्रुप के उद्देश्य है -

1. विष मुक्त (रेसीडीव फ्री) अन्न लोगो के थाली तक पहुँचाना।
2. जैविक / रेसीडीव फ्री खेती एवं मल्टीलेयर खेती को बढ़ावा देना।
3. कम लागत में फसलों का उत्पाद कराना हमारा लक्ष्य है।
4. जैविक / रेसीडीव फ्री खाद्य उत्पाद का निर्माण करना।
5. मशरूम की खेती को हर घर तक पहुचाना।
6. विश्व स्तरीय उत्पाद का निर्माण करना।
7. देशी बीज बैंक का निर्माण करना।
10. देशी गाय के नस्ल पर कार्य करना।
11. बाजार सुविधा-ई-कॉमर्स पोटल एप के माध्यम से कृषि उत्पाद, विश्व स्तरीय खाद्य उत्पादों को बिक्री करना।
12. एक बेहतर स्वरोजगार के तहत बेराजगारो को रोजगार से जोड़ना।
13. आधुनिक कृषि यंत्र किसानों को सब्सीडी पर उपलब्ध कराना।
14. आधुनिक कृषि वेलफेयर फंड बैंक का निमार्ण।
15. गरीब किसानों को ब्याज फ्री कृषि यंत्र लेने में मदद की सुविधा।

आर पी जी प्रशिक्षण की विशेषताएँ :-

1. प्रत्येक प्रशिक्षण में थ्योरी एवं प्रैक्टिकल का उत्तम मिश्रण।
2. दो दिन से पाँच दिनों तक प्रशिक्षण कार्यो के अनुरूप।
3. सभी प्रशिक्षण में बाजार सर्वेक्षण की सुविधा।
4. बाजार की सुविधा उपलब्ध कराना।
5. प्रशिक्षण के उपरांत बैंको द्वारा ऋण उपलब्ध करवाने हेतु मार्ग दर्शन में सहायता।
6. प्रत्येक प्रशिक्षण सफल उद्यमियों की सफलता की कहानियों को प्रकाशित करना।
7. प्रत्येक अच्छे कार्य करने वाले अधिकारियों एवं किसानों को पुरस्कृत करना।
8. प्रशिक्षण उपरांत सफल प्रशिक्षणार्थियों को सफलता का प्रमाण-पत्र।
9. आपके द्वारा उपजाएँ गए मशरूम या खेतों में उपजाएं गये विभिन्न फसलों एवं औषधीय उत्पाद की फिक्स रेट पर खरीदारी करने की पूर्ण गारंटी मेरी संस्था देती है।
10. आप चाहे तो उत्पाद की खरीदारी की गारंटी का एग्रीमेंट भी ले सकते हैं।

आर.पी.जी. के द्वारा दी जाने वाली प्रशिक्षण की सूची निम्न प्रकार है :-

कृषि कार्य विधि ट्रेनिंग कार्यशाला

- मशरूम की खेती / मशरूम स्पोन निर्माण।
- जैविक खाद/ वर्मी कंपोस्ट निर्माण।
- मधुमक्खी पालन।
- रेसीडीव एवं मल्टीलेयर कृषि / फार्मिंग !
- BioFloc विधि से मछली पालन।
- किचन गार्डन प्रबंधन एवं खेती।
- देशी बीज बैंक निर्माण
- कृषि आधुनिक यंत्र की जानकारी एवं उपलब्ध कराना।
- औषधीय पौध की खेती

उत्पाद, कार्य विधि ट्रेनिंग कार्यशाला

- मशरूम पापड़ निर्माण।
- मशरूम बर्री निर्माण।
- मशरूम आचार निर्माण।
- सभी प्रकार के मशाला पाउडर निर्माण।
- मशरूम युक्त, आटा, बेसन सत्तु मैंगी एवं विभिन्न
- प्रकार के मशरूम युक्त उत्पाद निर्माण।
- आधुनिक मशीन द्वारा चावल, दाल निर्माण।
- जैविक एवं शुद्ध कच्ची घानी खाद्य तेल का निर्माण।

आर.पी.जी. ग्रुप के द्वारा किसानो से खरीद बिक्री की जाने वाले फसलो एवं उत्पदो की सूची :

औषधि (जड़ी-बुटी)	अनाज	मशाला	फल	मछली	मशरूम
गिलोई	गेहूँ	अदरक	केला	रोहू	ऑयस्टर
अश्वगंधा	जैव	लहसुन	कागजी नीबू	कतला	बटन
शतावरी	धान	हल्दी	पपीता	पंगास	मिल्की
सफेद मुसली	मक्का	जीरा	अमरूद	तिलपिया	सिटाकी
अर्जना	स्विट कॉर्न	गोलकी (काली मिर्च)	एप्पल बेर	झिंगा	
नीम	मडुआ	धनिया	आम	मांगुर देसी	
चिरायता (कालमेघ)	बाजरा	अजवाईन	लीची	मिरगल	
आँवला	चना	मंगरेला	सरिफा		
मोरिंगा (सहजन)	उड़द	मेहथी	अनार (बेदाना)		
अरारोट	अरहर	ईलाईची	नाशपति		
तुलसी	मुंग		स्ट्रॉबेरी		
स्टेविया	मटर				
सर्पगंधा	लरसीम				
लेमन ग्रास					
सईबगोल					
ब्राह्मी					

चलो आधुनिक कृषि यंत्र को अपनायें।

अपने कृषि जीवन को, सुंदर व समृद्ध बनाये।।

खेती करके अन्नदाता बनगे, नौकरी करके नौकर बनेगें।।।

आर. पी. जी. देशी बीज बैंक शाखा संचालन की विधि : -

1. इस बीज बैंक निर्माण करने के उद्देश्य है कि किसानो को बीज में लगने वाली लागत को कम करना ।
2. इस देशी बीज बैंक सभी पंचायत में एक बीज भण्डार स्थापित की जाएगी।
3. प्रत्येक पंचायत में संचालन के लिए एक आम सभा के माध्यम से देशी बीज बैंक कमेटी का गठन करना अनिर्वाय होगा।
4. प्रत्येक कमेटी में मुखिया, सरपंच (पंचायत समिति) उस पंचायत के ग्राम अध्यक्ष एवं वार्ड सदस्य ही कमेटी के सदस्य होगे।

पंचायत कमेटी की दायित्व होगी

1. जिस फसल की देशी बीज जो किसान लेकर जायेगे, उन्हें दो गुणा बीज वापस करना होगा।
2. पहली बार जो भी फसल बीज लेगे उसका एक रूपया प्रति बीज का रेट लगेगा।
3. इस देशी बीज बैंक में सभी प्रकार के फसलों की बीज उपलब्ध होगें।
4. पंचायत के किसानों को बीज संग्रह करने की तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
5. पंचायत संचालन कमेटी को प्रतिमाह के अंत में एक बैठक कर कार्य एवं डबलपमेंट की रिर्पोट कम्पनी को करना अनिवार्य होगा।
6. प्रत्येक बैठक पंचायत सचिवालय में होगी।
7. प्रत्येक कार्य किसानों एवं समाज के कल्याणकारी योजना है। इस कार्य के लिए कमेटी को किसी तरह राशि देय नही होगा।
8. देशी बीज बैंक के लिए कम्पनी किसी भी प्रकार की शुल्क नही लेगी। यह व्यवस्था कम्पनी के द्वारा नि:शुल्क है।
9. देशी बीज बैंक झारखण्ड के सभी पंचायतों के शाखा को ऑन-लाइन जोड़ा जाएगा। जिससे पता चल सके की किस पंचायत में कौन सा किस्म का बीज उपलब्ध है।

आधुनिक कृषि वेलफेयर फंड बैंक शाखा की कार्य विधि

1. आधुनिक कृषि वेलफेयर फंड बैंक की शाखा झारखण्ड राज्य के सभी पंचायत में होगी।
2. देशी बीज बैंक और आधुनिक कृषि वेलफेयर फंड बैंक ये दोनो एक दूसरे के पूरक है। यह कि दोनो बैंक की शाखा एक ही जगह पर एक ही स्टाफ के द्वारा कार्य संचालन होगा।
3. वेलफेययर फंड में आय का स्रोत :-

1. कम्पनी के टर्न ऑवर का 2% इस बैंक को फंड दिया जाएगा।
2. कम्पनी में कार्यरत सभी प्रकार पदाधिकारियों को मिलने वाली आय का 2% कटौती कर वेलफेयर फंड बैंक में जमा होगा।
3. इस वेलफेयर फंड में किसानों द्वारा दान में मिलने वाली अनाज या रूपया पैसा वेलफेयर फंड में जमा होगा।
4. साथ में बड़ी-बड़ी कम्पनीयों, समाजसेवी, राजनितिक पार्टी के द्वारा दी जाने वाली दान की राशी वेलफेयर फंड में जमा होगा।
5. इस वेलफेयर फंड में दान की गई राशी पर 80 G का लाभ मिलेगा।

वेलफेयर फंड बैक से लभार्थी कौन होगे :-

1. यह वेलफेयर फंड का उपयोग अत्यंत गरीब एवं भूमीहीन किसानों को कृषि कार्यो में मदद के लिए किया जाएगा।
2. किसी गरीब किसान की बेटी की शादी में मदद की जाएगी।
3. गरीब किसानों को कृषि यंत्र लेने में मदद की जाएगी।
4. वेलफेयर फंड बैक से मिलने वाली राशि पर ब्याज नही होगा।
5. जो भी किसान कृषि कार्य के लिए फंड का मदद लेगे, वो फसल बेचने के उपरांत लौटा देगें।
6. प्राकृतिक आपदा में फसल नस्ट हो जाने पर किसान को दी गई मदद की राशि नही लौटानी होगी।
7. वेलफेयर फंड बैंक से सहायता दी जाने वाली राशी का अनुमोदन पंचायत संचालन समिति करेगी।
8. वेलफेयर फंड बैंक से दी गई मदद राशी का वापसी का पंचायत संचालन समिति का होगा।
9. भूमीहीन किसान खेती करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को भूमी लीज पर उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रशिक्षण हेतू पात्रता एवं सुविधायें :-

1. इस स्वरोजगार मिशन के अंतर्गत वो हर व्यक्ति जो भारत का नागरीक हो, जैसे :- सभी नवयुवक/नवयुवति / किसाना, महिला-पुरूष, व्यापार/नौकरी करने वाले, शहरी या ग्रामीण, जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम नही हो।
2. ट्रेनिंग/प्रशिक्षण हेतू अपनी इच्छा जरूरी है।
3. नि:शुल्क ट्रेनिंग/प्रशिक्षण के साथ भोजन एवं ठहरने की व्यवस्था।
4. स्वरोजगार संबंधित प्रशिक्षण।
5. तीन वर्षो तक नि:शुल्क अनुवर्तन/अनुश्रवण।
6. आपके पंचायत सचिवालय या घर पर प्रशिक्षण ट्रेनिंग की सुविधा प्रदान किया जाएगा।

प्रशिक्षण हेतू दस्तावेज की आवश्यकता :-

1. आधार कार्ड
2. पेन कार्ड (पेन कार्ड अनिवार्य नही है। किसान के लिए) है तो संलग्न करे।
3. बैंक एकाउण्ट डिटेल।
4. दो पीस पासपोर्ट साइज फोटो
5. शैक्षणिक प्रमाण पत्र (यदि दसवी उर्तीण/अनुर्तीण एवं उससे अधिक है तो) फोटो कॉपी संलग्न करें।
6. आवासीय प्रमाण पत्र।
7. स्वंय सहायता समुह या सफल हेल्फ ग्रुप के सदस्य हो तो (समुह का नाम वर्णित हो)

प्रशिक्षण के दायित्व/ कर्तव्य

1. प्रशिक्षण में समय पर नियमित उपस्थिति।
2. प्रशिक्षण सीखने हेतू पूर्ण सम्पर्ण।
3. प्रशिक्षण के उपरांत अनुवर्तन में सहयोग करना।
4. प्रमाण-पत्र हेतु निष्ठापूर्ण एवं ईमानदारी पूर्वक से कार्य करना एवं परीक्षा में उर्तीण करना।

यदि आप प्रशिक्षण लेने के इच्छुक है तो सम्पर्क करे :-

कार्यालय

कार्यालय : आर पी जी ग्रुप, हुरहुरू रोड, हजारीबाग (झारखण्ड)

मो. : 9939310713, 7903765257, 748846587

www.rpggroupindia.com | Email : info@rpggroupindia.com